संख्या– 237128, / IV(2)-श0वि0–2024, 41(सा0)/21

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 03 सितम्बर, 2024

विषयः नगर निगम, देहरादून के बोर्ड प्रस्ताव संख्याः 58.9, दिनांक 10.01.2020 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1447, दिनांक 28.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में अपना घर संस्था को नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम, देहरादून के स्वामित्व की भूमि आवंटन किये जाने विषयक नगर निगम, देहरादून के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव संख्याः 58.9, दिनांक 10.01.2020 पर शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त संस्था को भूमि आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **''अपना घर संस्था''** को नगर निगम, देहरादून अन्तर्गत निगम के स्वामित्व की भूमि आवंटित किये जाने विषयक नगर निगम, देहरादून का बोर्ड प्रस्ताव संख्याः 58.9, दिनांक 10.01.2020 को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के सम्पत्ति निस्तारण से सम्बन्धी उपधारा– 5(क) एवं 5(ख) से असंगत होने के कारण निरस्त किया जाता है।

–

भवदीय

Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 03-09-2024 17:43:17

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 237128, / IV(2)–श0वि0–2024– तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रदीप कुमार शुक्ल
उप सचिव।